



क्र. / स्था. / 2022 /

भोपाल, दिनांक:

:: स्थानीय महाविद्यालय में बायोकेमिस्ट, बायो-स्टेटिस्टिशियन एवं फार्माकोलॉजिस्ट पदों पर सेवाओं हेतु अंशकालिक अनुबंध के लिए नियम एवं शर्तः

- 1- प्रत्येक कार्य दिवस ( प्रति पीरियड 01 घण्टा) हेतु रु. 1000/- (रु. एक हजार मात्र) मानदेय देय होगा।
- 2- यह अनुबंध अंशकालिक होगा तथा इन पदों पर नियमति नियुक्ति होने के उपरांत अनुबंध स्वमेव ही समाप्त हो जायेगा अथवा कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।
- 3- संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष से उपस्थिति से सत्यापन के पश्चात ही मानदेय का भुगतान अगले माह किया जायेगा।
- 4- न्यूनतम अर्हता:-  
कम्प्यूटर कार्य का ज्ञान एवं अनुभवी अभ्यर्थियों को वरियता प्रदान की जावेगी।
- 5- बिना किसी पूर्व सूचना के निरंतर 06 कार्य दिवस तक अनुपस्थित रहने पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा। जिसके लिये पृथक से सूचना देना आवश्यक नहीं होगा।
- 6- शासकीय अवकाश एवं अन्य सार्वजनिक अवकाश के दिनों में आवश्यकतानुसार बुलाये जाने पर महाविद्यालय/चिकित्सालय में उपस्थित होना होगा। जिसका भुगतान नियमित दिनों की भांति ही किया जायेगा।
- 7- यह सेवाएं अंशकालिक अनुबंध मात्र हैं अतः भविष्य में नियमितीकरण से संबंधित कोई भी दावा (क्लेम) मान्य नहीं होगा। अंशकालिक विशेषज्ञ/अतिथि अध्यापक किसी भी हैसियत से संस्थान स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे तथा वह लोक सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जायेंगे।
- 8- अनुबंधित विशेषज्ञ के कार्य दिवस एवं ड्यूटी रोस्टर समय-समय पर पृथक से जारी किये जायेंगे, तदानुसार सेवायें देनी होगी।
- 9- विशेषज्ञ का अनुबंधीकरण उनके स्नाकोत्तर उपाधि के प्रथम वर्ष से अंतिम व्यावसायिक वर्ष तक प्राप्त अंकों के प्रतिशत की आधार पर गणना में लिया जाकर मेरिट सूची तैयार की जायेगी।
- 10- किसी भी विवाद की स्थिति में प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, हकीम सैयद जियाउल हसन शासकीय (स्वशासी) यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, भोपाल का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

( डॉ० मेहमूदा बेगम )

प्र० प्रधानाचार्य / मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
 हकीम सैयद जियाउल हसन शासकीय / स्वशासी  
 यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल